रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 312] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 22, 1973/पौष 1, 1895
No. 312 NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 22, 1973/PAUSA 1, 1895

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

LOK SABHA

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 22nd December 1973

No. 41/4/CI/73.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin Part II, dated the 21st December, 1973, is hereby published for general information:—

"**No. 1515**

Amendments to the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition)

In pursuance of sub-rule (3) of rule 331 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition), the following amendments approved by the Lok Sabha to the said Rules are hereby published:—

Rule 2 etc.

1. In the rules, for the word "Secretary", wherever it occurs, the words "Secretary-General" shall be substituted.

New Rules 331A and 331B

2. After rule 331, the following rules shall be inserted, namely:—

"(*m*) *Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes*

Functions of Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes.

331A. There shall be a Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes. The functions of the Committee shall be—

(a) to consider the reports submitted by the Commissioner for Scheduled Castes and Scheduled Tribes under article 338(2) of the Constitution and to report as to the measures that should be taken by the Union Government in respect of matters within the purview of the Union Government including the Administrations of the Union Territories;

(b) to report on the action taken by the Union Government and the Administrations of the Union territories on the measures proposed by the Committee;

(c) to examine the measures taken by the Union Government to secure due representation of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes in services and posts under its control (including appointments in the Public Sector Undertakings, Statutory and Semi-Government Bodies and in the Union Territories) having regard to the provisions of article 335;

(d) to report on the working of the welfare programmes for the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes in the Union Territories; and

(e) to examine such other matters as may seem fit to the Committee or are specifically referred to it by the House or the Speaker.

Constitution of Committee

331B. (1) The Committee shall consist of not more than twenty members who shall be elected by the House every year from amongst its members according to the principle of proportional representation by means of the single transferable vote:

Provided that a Minister shall not be elected a member of the Committee, and that if a member, after his election to the Committee, is appointed a Minister he shall cease to be a member of the Committee from the date of such appointment.

(2) The term of office of members of the Committee shall not exceed one year:

Provided that the members of the Committee constituted in pursuance of the motion adopted by the House on the 13th August, 1973, shall hold office for a period of two years from the date of the first meeting of that Committee."

Fourth Schedule

3. In the Fourth Schedule, in Part I, after entry 9, the following shall be added, namely:—

"10. The Industrial Development Bank of India.

11. The Agricultural Refinance Corporation."

लोक सभा

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 22 दिसम्बर, 1973

सं० 41/4/सी–1/73.—लोक सभा समाचार–भाग 2, दिनांक 21 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित निम्नलिखित पैराग्राफ एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :—

संख्या 1515

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) में संशोधन

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य—संचालन सबम्न्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 331 के उप-नियम (3) के अनुसरण में, उक्त नियमों में लोक सभा द्वारा अनुमोदित निम्नलिखित संशोधन एतद्द्वारा प्रकाशित किये जाते हैं :—

नियम 2 आदि

1. नियमों में, 'सचिव' शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी यह आये, 'महासचिव' शब्द प्रतिस्थापित किया जायेगा।

नये नियम 331 क और 331 ख

2. नियम 331 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अन्तः स्थापित किये जायेंगे, अर्थात् :

"(ङ) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के कृत्य

331क. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी एक समिति होगी । समिति के कृत्य ये होंगे :—

(क) संविधान के अनुच्छेद 338(2) के अधीन अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त द्वारा पेश किये गये प्रतिवेदनों पर विचार करना और संघ सरकार जिसने संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन भी शामिल हैं के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले मामलों के बारे में ऐसे उपायों को प्रतिवेदित करना जो संघ सरकार द्वारा किये जाने चाहिएं ;

(ख) समिति द्वारा प्रस्तावित उपायों पर संघ सरकार और संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्रतिवेदन देना ;

(ग) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों का विधिवत प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 335 के उपबन्धों को दृष्टि में रखते हुए संघ सरकार के नियंत्रणाधीन सेवाओं तथा पदों में (जिनमें सरकारी क्षेत्रों के उपक्रमों, संविहित और अर्ध-सरकारी निकायों तथा संघ राज्य क्षेत्रों में नियुक्तियां भी शामिल हैं) संघ सरकार द्वारा किये गये उपायों पर विचार करना ;

(घ) संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी कार्यक्रमों के कार्यकरण के बारे में प्रतिवेदन देना ; और

(ङ) ऐसे अन्य मामलों पर विचार करना जो समिति उचित समझे या जो सदन अथवा अध्यक्ष द्वारा उसे विशेष रुप से निर्दिष्ट किये जायें ।

समिति का गठन

331ख. (1) समिति में बीस से अधिक सदस्य नहीं होंगे जो एकल संक्रमणीय मत द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सिद्धान्त के अनुसार सदन द्वारा प्रतिवर्ष अपने सदस्यों में से निर्वाचित किये जायेंगे :

परन्तु किसी मंत्री को समिति का सदस्य निर्वाचित नहीं किया जायेगा, और यदि कोई सदस्य समिति में निर्वाचन के पश्चात् मंत्री नियुक्त हो जाये, तो वह ऐसी नियुक्ति की तिथि से समिति का सदस्य नहीं रहेगा ।

(2) समिति के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष से अधिक नहीं होगी :

परन्तु सदन द्वारा 13 अगस्त, 1973 को स्वीकार किये गये प्रस्ताव के अनुसरण में गठित समिति के सदस्य समिति की प्रथम बैठक की तिथि से दो वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।'

चतुर्थ अनुसूची

3. चतुर्थ अनुसूची में, भाग 1 में, प्रविष्टि 9 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जायेगा, अर्थात् :—

"10. भारतीय औद्योगिक विकास बैंक ।

11. कृषिक पुनर्वित्त निगम ।"

No. 46/2/CI/73.—The following paragraph published in the Lok Sabha Bulletin Part II, dated the 21st December, 1973, is hereby published for general information:—

"No. 1512

Amendment to Directions by the Speaker under the Rules of Procedure of Lok Sabha

In pursuance of rule 389 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha (Fifth Edition), the Speaker has made the following amendment to the Directions:—

"In the Directions, for the word 'Secretary' wherever it occurs, the words 'Secretary-General' shall be substituted."

S. L. SHAKDHER,
Secretary-General."

संख्या 46/2/सी 1/73.—लोक सभा समाचार-भाग 2, दिनांक 21 दिसम्बर, 1973 में प्रकाशित निम्नलिखित पैराग्राफ एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

"संख्या 1512

लोक सभा के प्रक्रिया सम्बन्धी नियमों के अधीन अध्यक्ष द्वारा दिए गये निदेशों में संशोधन

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन सम्बन्धी नियमों (पांचवां संस्करण) के नियम 389 के अनुसरण में, अध्यक्ष ने निदेशों में निम्नलिखित संशोधन किया है :—

"निदेशों में, 'सचिव' शब्द के स्थान पर, जहां कहीं भी यह आये, 'महासचिव' शब्द प्रतिस्थापित किया जाये ।"

श्यामलाल शकधर,
महासचिव ।"

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1973